

कार्यालय

पत्रांक: १७ उ४ / रस०ए००-३००ए०-कोरोना / २०२०

जिला मंजिस्ट्रेट

गौतमबुद्ध नगर।

दिनांक: २०.५.२० २०

आदेश

गृह बन्जालय, भारत सरकार के आदेश संख्या ४०-३ / २०२०-टीएम-१(८) दिनांक १५, अप्रैल, २०२० के कम में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत प्राक सख्ता-२६४ / २०२० / शी०ए००-३, दिनांकित १६, अप्रैल, २०२० में कठियालय कार्यालय एवं सेवायों दिनांक २०.०४.२०२० से प्रारम्भ करना प्रायिकान्वित है, परन्तु जनपद गौतमबुद्धनगर में कठी सख्ता में हाईटर्स्पीट क्षेत्र विनियित तथा कोविड-१० के संकेतित व्यक्तियों के कारण यह स्पष्ट है कि जनपद गौतमबुद्धनगर में अतिरिक्त सतीकरता बरतने की आवश्यकता है।

अतः जनसामान्य एवं अधिकारियों/कर्मचारियों को पुन यह स्पष्ट किया जाता है कि जनपद गौतमबुद्धनगर के सम्पूर्ण क्षेत्र में कोई भी नया कार्यालय, इकाई, प्रतिष्ठान अथवा सेवा, यह केन्द्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, अर्द्धसरकारी हो अथवा निजी क्षेत्र की हो, प्रारम्भ नहीं की जायेगी। समस्त सम्मानित नागरिक, अधिकारी एवं कर्मचारी कोविड-१९ प्रोटोकॉल एवं लॉकडाउन का पालन पूर्यत करते रहेंगे।

(सुहास एल०शा०१०)
जिला मंजिस्ट्रेट
गौतमबुद्धनगर।

प्रतिलिपि—निम्न को सूचनार्थ प्रेषित।

- मुख्य सचिव, उ०प्र०शासन, लखनऊ।
- प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री), उ०प्र०शासन, लखनऊ।
- अपर मुख्य सचिव (गृह), उ०प्र०शासन, लखनऊ।
- आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- मुख्य कार्यपालक अधिकारी गेटर नौएडा / नीएडा / यीडा।
- पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर।
- अपर आयुक्त (व्यापार कर), गौतमबुद्धनगर।
- मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
- अपर जिलाधिकारी (वि / रा) / (भ०३१०) / (प्रशासन), गौतमबुद्धनगर।
- मुख्य विकासाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
- नगर मंजिस्ट्रेट नीएडा / गेटर नौएडा।
- उप जिलाधिकारी दादरी / सदर / जेवर।
- समस्त डिप्टी कलेक्टर्स, गौतमबुद्धनगर।
- जिला पूर्ति अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
- अन्य समस्त जिला स्तरीय / विभागीय अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
- जिला सूचना अधिकारी, गौतमबुद्धनगर को इस निर्देश के साथ कि उक्त प्रेस-विज्ञप्ति को समस्त प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में निःशुल्क प्रकाशन कराने हेतु।

जिला मंजिस्ट्रेट,
गौतमबुद्धनगर।